


22/12/2023

पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थी वकील अनुपस्थित। प्रार्थी स्वयं भी अनुपस्थित।

पत्रावली में मूल वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गई है। इस आवेदन को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


महायक कलकार
SDO धोरीमन्ना

